न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 101 / 2014 तारीख रजु 10.09.2014

उनवान

शिवचरण पुत्र दौजी, वगैरह जाति मीना निवासी कोटरा ढहर तहसील हिण्डोन जिला करौली

————वादी(04)

बनाम

सरकार जरिए जिला कलक्टर करौली
तहसीलदार, तहसील हिण्डौन

————प्रतिवादी

उपस्थितिः–
वादीगण की ओर से :– श्री मुरारि लाल करसौलिया एडवाकेट।
प्रतिवादीगण की ओर से :– पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 27.11.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा ग्राम कोटरा ढहर तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 888, 889, की घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को बहस हेतु न्याय हित में पार्यप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी बहस नहीं की गई। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 27.11.2019 को पेश हुई। बार–बार आवाज दिलाई गई परंतु बहस हेतु उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादीगण का दावा मुकदमा नंबर 101 / 2014 शिवचरण वगै. बनाम सरकार अदम पैरवी [illegible] जिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जा[illegible] निर्णय आज [illegible] 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 18:12:28 IST
Reason: SelfAttested

27.11.19
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner